हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रकटीकरण हेतु घटनाओं या सूचना की भौतिकता के निर्धारण हेतु नीति

1. प्रस्तावना

समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 (1) के अनुसार ("सेबी एलओडीआर विनियम"), प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को किसी भी घटना या सूचना का प्रकटीकरण करना होगा, जो सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल की राय में महत्वपूर्ण है।

सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 30 (4) (ii) के अनुसार, विनियमों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित, महत्वपूर्णता के निर्धारण हेतु नीति तैयार करना आवश्यक है, जिसका प्रकटीकरण इसकी वेबसाइट पर किया जाता है।

जिसके अनुसार, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('हडको या कंपनी') के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने स्टॉक एक्सचेंजों को महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचनाओं के प्रकटीकरण हेतु "घटनाओं या प्रकटीकरण के लिए सूचना की महत्वपूर्णता के निर्धारण हेतु नीति" के रूप में नीति और प्रक्रियाओं को अपनाया था, जिन्हें समय-समय पर आवश्यक माना जाता है।

2. उद्देश्य

यह नीति सेबी (एलओडीआर) विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई है, जिससे कंपनी द्वारा निरंतर आधार पर सूचना का समय पर, पर्याप्त और सटीक प्रकटीकरण किया जा सके, जिसके उपरांत निवेशक सुविचारित निवेश निर्णय ले सकें।

3. व्याख्या

इस नीति में प्रयुक्त शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो सेबी (एलओडीआर) विनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस नीति के किसी प्रावधान और कंपनी की किसी मौजूदा नीति के बीच असंगति की स्थिति में, घटनाओं या सूचना की भौतिकता के निर्धारण हेतु नीति के प्रावधान लागू होंगे।

4. प्रकटीकरण

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 30 के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली घटनाएँ निम्नानुसार प्रदान की गई हैं:

अनुलग्नक-I	**ऐसी घटनाएं जिन्हें भौतिक घटनाएं माना जाता है और उन्हें इस नीति के खंड 5 में परिभाषित भौतिकता के मानदंडों के आवेदन के बिना स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किया जाना है।**
अनुलग्नक -II	**इस नीति के खंड 5 में परिभाषित भौतिकता के मानदंडों के अनुप्रयोग पर कंपनी द्वारा प्रकट की गई घटनाएँ।**
यह नीति उन घटनाओं पर भी लागू होगी जो **अनुबंध-I** या **अनुबंध-II** में नहीं दर्शाई गई हैं, लेकिन जिनका कंपनी पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।	

इसके अतिरिक्त, जहां कंपनी ऊपर उल्लिखित अनुलग्नकों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करती है, कंपनी भौतिक विकास का भी प्रकटीकरण करेगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

5. भौतिकता का परीक्षण

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष घटना/सूचना भौतिक प्रकृति की है, निम्नलिखित 'मात्रात्मक' या 'गुणात्मक' मानदंड लागू किए जाएंगे:

क) मात्रात्मक मानदंड: किसी घटना या सूचना की चूक, जिसका मूल्य या मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित प्रभाव, निम्न में से कम से कम हो:

i. कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार व्यापार का दो प्रतिशत।

ii. कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार निवल मूल्य का दो प्रतिशत, अतिरिक्त इसके कि निवल मूल्य का अंकगणितीय मूल्य नकारात्मक हो।

iii. कंपनी के अंतिम तीन लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार कर के बाद लाभ या हानि के निरपेक्ष मूल्य के औसत का पांच प्रतिशत।

ख) गुणात्मक मानदंड: मात्रात्मक मानदंडों की अनुपस्थिति में, घटना को भौतिक माना जाएगा यदि;

i. किसी घटना या सूचना की चूक, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध घटना या सूचना में रुकावट या परिवर्तन होने की संभावना है; या

ii. किसी घटना या सूचना की चूक के परिणामस्वरूप बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना है, यदि उक्त चूक बाद में प्रकाश में आई।

ऐसे मामले में जहां ऊपर निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं होते हैं, किसी घटना या सूचना को महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि कंपनी के निदेशक मंडल की राय में, घटना या सूचना को महत्वपूर्ण माना जाता है।

6. घटना/सूचना या भौतिक विकास की भौतिकता के निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी

सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 30 (5) के तहत अपेक्षित अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से किसी घटना या सूचना या विकास की भौतिकता तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपलब्ध नहीं हैं, तो निदेशक (कॉर्पोरेट योजना) और निदेशक (वित्त) को स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से किसी घटना या सूचना या विकास की भौतिकता तय करने के लिए संयुक्त रूप से/अलग-अलग अधिकृत किया जाएगा।

7. वेबसाइट पर होस्टिंग

उपर्युक्त सभी प्रकटीकरण कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

*****